International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 120-125

भारत में लिव इन रिलेशनशिप के सामाजिक और कानूनी पहलू : समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. राजेश कुमार मीना*

सार

लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा एक ऐसी प्रथा थी जिसे भारतीय समाज ने लंबे समय तक टाला। शादी के बंधन में बंधने से पहले साथ रहना पहले भारतीय संस्कृति में अपराध या अपराध माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म विवाह के सबसे पवित्र रूप के रूप में 'एक पुरुष, एक पत्नी' को प्राथमिकता देता है। लेकिन जैसे–जैसे लोग मानसिक रूप से विकसित होने लगते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ कुछ अस्वीकार्य प्रथाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब हैं लिव इन रिलेशनशिप का विचार उन लोगों की व्यापक मानसिकता से विकसित हुआ है जो बिना किसी बंधन के रिश्ते की चाहत रखने लगे हैं। लिव इन रिलेशनशिप कपल वो होते हैं जो साथ रहते हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते। हालांकि, भारतीय कानून में इस अवधारणा को परिभाषित करने के लिए कोई कानूनी परिभाषा नहीं हैं। यह एक पश्चिमी सिद्धांत है जिसका भारतीय परंपरा से बहुत कम संबंध हैं। भारतीय समाज में कभी वर्जित माने जाने वाले लिव–इन रिलेशनशिप को पारंपरिक विवाह के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। हालाँकि, बढ़ते प्रचलन के बावजूद, भारत में लिव–इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के बारे में अभी भी अस्पष्टता हैं। समलैंगिक सहवास को अपराधमुक्त करने के मामले को लेते हैं। हाल के फैसले, जैसे कि आईपीसी की धारा 377 और 497 को अपराधमुक्त करना, यह दर्शाता है कि कैसे भारतीय कानून भी समाज के साथ विकसित हुए हैं। इस लेख का उद्देश्य भारत में लिव–इन रिलेशनशिप के नियमों और कानूनी पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करना हैं। अमूर्त लिव–इन रिलेशनशिप भारत में शादी की तरह ही एक आसान उपाय के रूप में प्रमुखता से बढ़ रहा है। इसे ऐसे वयस्क जोड़े के बीच घरेलू सहवास के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी शादी नहीं हुई है। जाहिरा तौर पर, यह बिना किसी कानूनी बाध्यता के एक तनाव–मुक्त साथी की तरह प्रतीत होता है; इसके विपरीत, इसमें कई जटिलताएँ, जिम्मेदारियाँ और कानूनी दायित्व हैं। हाल ही में इसे कुछ कानूनों के दायरे में लाने की कोशिश की गई है. यह अब भारत में अपराध नहीं है और शीर्ष अदालत के विभिन्न फैसलों में भरण–पोषण, संपत्ति, बच्चे की कानूनी स्थिति से संबंधित कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। भारत में अभी भी यह एक बहस का मुद्दा है। ऐसे कई अस्पष्ट क्षेत्र हैं जिन पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे, आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण, सांस्कृतिक मुद्दे, संपत्ति अधिकार, वसीयत और उपहार अधिकार, धर्म–विरोधी स्थिति, एलजीबीटी समुदाय इत्यादि। लेख का प्राथमिक ध्यान द्वितीयक स्रोतों की सहायता से लिव–इन रिलेशनशिप की अवधारणा को समझने पर है। इसके बाद, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति की

* सह–आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान।

मदद से जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अंत में, लेख लिव–इन रिलेशनशिप में रहने का विकल्प चुनने वाले जोड़े के लिए एक अलग, धर्मनिरपेक्ष और लिंग–संवेदनशील कानून बनाने की आवश्यकता पर तर्क देता है।

शब्दकोशः *लिव–इन रिलेशनशिप, संपत्ति, रखरखाव, समान–लिंग, बाल अधिकार।*

प्रस्तावना

अनुसंधान–क्रियाविधि

इस लेख में, अनुसंधान पद्धति प्रकृति में सैद्धांतिक है। प्राथमिक फोकस भारत में लिव–इन रिलेशनशिप से संबंधित अवधारणा, कानून, अधिनियम, किताबें, समाचार और मामलों को समझने और इस नए सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता को समझने पर है। इसके बाद, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति की मदद से जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अंत में, सहवास की इस उभरती प्रवृत्ति को अपनाने के लिए स्वेच्छा से आने वाले लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में, पेपर एक साथ रहने का विकल्प चुनने वाले जोड़े के लिए एक अलग, धर्मनिरपेक्ष और लिंग–संवेदनशील कानून बनाने की आवश्यकता पर तर्क देता है।

लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ

सहवास एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो लोग भावनात्मक और/या यौन रूप से जुड़े संबंध को बनाए रखते हुए एक विस्तारित अवधि या स्थायी रूप से एक साथ रहने का विकल्प चुनते हैं। इस वाक्यांश का इस्तेमाल आमतौर पर अविवाहित जोड़ों को संदर्भित करने के लिए किया जाता हैं। लिव–इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक जोड़ा एक साथ लंबे समय तक एक रिश्ते में रहता है जो शादी जैसा होता है। हालाँकि, शादी के विपरीत, इसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाती हैं। शादी का फैसला करने से पहले जोड़ा अनुकूलता को समझने के लिए साथ रहता हैं।

भारत में क़ानूनी स्थिति

भारत में, ब्रिटिश शासन के बाद से ही सहवास को वर्जित माना जाता था। हालाँकि, दृष्टिकोण बदल गया है, खासकर बड़े शहरों में, जहाँ अब लिव–इन रिलेशनशिप को ज़्यादा स्वीकार किया जाता हैं। फिर भी, रूढ़िवादी मूल्यों वाले ग्रामीण इलाकों में, सहवास को अभी भी अक्सर नापसंद किया जाता हैं। महिला संरक्षण और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत, महिला लिव–इन पार्टनर के पास कुछ आर्थिक अधिकार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2008 में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें सुझाव दिया गया कि 'उचित अवधि' के लिए लिव–इन रिलेशनशिप में शामिल महिला को पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए। 'उचित अवधि' का निर्धारण प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 30 जून 2008 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सिफारिश की कि सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 125 में वर्णित 'पत्नी' की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सके। इस सिफारिश का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना था, जो कानूनी रूप से विवाहित जोड़ों के लिए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति मलीमथ समिति ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और कहा कि यदि कोई पुरुष और महिला एक उचित लंबी अवधि तक पति–पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, तो पुरुष को महिला से विवाहित माना जाना चाहिए।

मलिमथ समिति ने सीआरपीसी के तहत 'पत्नी' शब्द में संशोधन करके 'पुरुष के साथ उसकी पत्नी की तरह रहने वाली महिला' को भी शामिल करने का सुझाव दिया है, जिससे लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार मिल सके। 16 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए महिला को औपचारिक विवाह की सख्त जरूरत नहीं हैं। इसका मतलब है कि लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी इस धारा के तहत गुजारा भत्ता पाने का दावा कर सकती हैं। एक अन्य मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लगभग 21 वर्ष की आयु की महिला, जो बालिग है, को विवाह किए बिना भी किसी पुरुष के साथ रहने का अधिकार है, यदि दोनों पक्ष ऐसा चाहें। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक लिव–इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उन्हें विवाहित जोड़ा माना जाएगा, और उनके द्वारा जन्मा कोई भी बच्चा वैध माना जाएगा।

लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी निहितार्थ

इस विषय पर किसी विशिष्ट कानून, नियम या रीति–रिवाज के अभाव में, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे संबंधों को विनियमित करने के लिए अपने निर्णय में कुछ दिशा–निर्देश जारी किए हैं। भारतीय कानून के तहत सहमति से वयस्कों के बीच लिव–इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं माना जाता है। "लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू. पी" (एआईआर एससी 2522, 2006) मामले में, यह माना गया था कि विपरीत लिंग के दो वयस्कों के बीच सहमति से लिव–इन रिलेशनशिप, हालांकि अनैतिक माना जाता है, लेकिन कानून के तहत कोई अपराध नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले "खुशबू बनाम कन्नियाम्मल" (5 एससीसी 600, 2010) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा "हालांकि लिव–इन रिलेशनशिप की अवधारणा को समाज द्वारा अनैतिक माना जाता है, लेकिन कानून की नज़र में यह निश्चित रूप से अवैध नहीं है। साथ रहना जीवन का अधिकार है और इसलिए इसे अवैध नहीं माना जा सकता।

यदि लिव–इन रिलेशनशिप लंबे समय तक जारी रहती है और युगल खुद को समाज के सामने पति–पत्नी के रूप में पेश करते हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से विवाहित माना जाता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि "यदि समाज में पति–पत्नी के रूप में रहने वाले पुरुष और महिला को विवाह के आधी सदी बाद प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य द्वारा यह साबित करने के लिए बाध्य किया जाए कि पचास वर्ष पहले उनका वैध विवाह हुआ था, तो बहुत कम लोग सफल होंगे। विवाह के पक्ष में एक मजबूत धारणा बनती है, जहां साथी पति–पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। यद्यपि धारणा का खंडन किया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति पर भारी बोझ पड़ता है जो रिश्ते को उसके कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है।

जहां एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक पति–पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, कानून के तहत धारणा उनके एक–दूसरे के साथ कानूनी रूप से विवाहित होने के पक्ष में होगी जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए और ऐसे लिव–इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे माता–पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार के हकदार होंगे। यदि ऐसा संबंध केवल यौन कारणों से है, तो दोनों में से कोई भी साथी कानूनी विवाह के लाभों का दावा नहीं कर सकता है।

यदि दोनों साथी अविवाहित हैं और पारस्परिक रूप से संबंध बनाते हैं, तो यह कोई अपराध नहीं है। 2018 से पहले, विवाहित या अविवाहित पुरुष का विवाहित महिला के साथ घरेलू सहवास भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 के तहत "व्यभिचार" का आपराधिक अपराध माना जाता था, लेकिन केवल पुरुष के लिए। लेकिन सितंबर 2018 में "जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ" के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को रद्द कर दिया, क्योंकि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस धारा में पुरुषों और महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया गया था क्योंकि केवल पुरुष ही व्यभिचार के लिए अभियोजन के अधीन है, न कि महिला। इसके अलावा, केवल संबंधित महिला का पति ही उस पुरुष पर मुकदमा चला सकता था जो इस कृत्य में शामिल था और महिला अपने पति पर व्यभिचार के लिए मुकदमा नहीं चला सकती।

हालांकि व्यभिचार अब एक आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन किसी भी विवाहित पुरुष या महिला के साथ सहवास का मामला तलाक का आधार बनने वाले नागरिक मुद्दों का मामला हो सकता है, जिस स्थिति में यह लिंग तटस्थ होगा। दो वयस्कों के बीच सहमति से लिव–इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं माना जाता है और अगर दंपत्ति समाज के सामने खुद को पति–पत्नी के रूप में पेश करते हैं और काफी समय तक साथ रहते हैं, तो इस रिश्ते को घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2005 के तहत "विवाह की प्रकृति" का रिश्ता माना जाता है। नतीजतन, महिला साथी इसके प्रावधानों के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है और वे अपने माता–पिता की स्व–अर्जित संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होते हैं, हालांकि वे हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में सहदायिक हिस्से के हकदार नहीं होते हैं। लिव–इन रिलेशनशिप से दंपत्ति एक–दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, लेकिन इस तरह के बिना किसी बंधन वाले रिश्ते के अपने नुकसान भी हैं। दंपत्ति को दिन–प्रतिदिन के जीवन में कई सामाजिक और तार्किक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अकेले रहने और कोई भी रिश्ता न रखने की तुलना में अच्छे–गुणवत्ता वाले रिश्ते में बंधे रहना बेहतर माना जाता है।

"विवाह की प्रकृति" के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने "डी. वेलुसामी और डी. पैचैमल (5 एससीसी 600)।" कुछ शर्तें तय की थीं–

- जोड़े को समाज के सामने खुद को जीवनसाथी के समान पेश करना चाहिए।
- उन्हें विवाह करने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए।
- उन्हें अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए।
- उन्हें स्वेच्छा से सहवास करना चाहिए और खुद को काफी समय तक जीवनसाथी के समान दुनिया के सामने पेश करना चाहिए।

"इंद्रा सरमा बनाम वीकेवी सरमा" में, सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि सभी लिव–इन संबंध विवाह की प्रकृति के संबंध नहीं हैं। न्यायालय ने आगे निम्नलिखित टिप्पणियाँ कींः ऐसे संबंध लंबे समय तक चल सकते हैं और निर्भरता और भेद्यता के पैटर्न का परिणाम हो सकते हैं, और ऐसे संबंधों की बढ़ती संख्या पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा की मांग करती है, विशेष रूप से उस लिव–इन–रिलेशनशिप से पैदा हुई महिला और बच्चों के लिए।

लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे की वैधता

विवाह से बाहर जन्मे बच्चे की वैधता से जुड़े एक पिछले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक लिव–इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उन्हें विवाहित जोड़ा माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा होने वाला कोई भी बच्चा वैध माना जाएगा। इसके अलावा, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में हाल ही में किए गए संशोधन, ऐसे रिश्तों में शामिल महिलाओं को 'उचित लंबी अवधि' के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें पत्नियों का दर्जा देते हैं। न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को अब नाजायज नहीं माना जाएगा। कानून अब वैधता का पक्षधर है और 'वेश्यावृत्ति' या 'व्यभिचार का फल' जैसे शब्दों को खारिज करता है।

उत्तराधिकार अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिव–इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा हिंदू पैतृक सहदायिक संपत्ति (अविभाजित संयुक्त हिंदू परिवार के मामले में) में उत्तराधिकार का दावा करने का हकदार नहीं है, लेकिन वह केवल माता–पिता की स्व–अर्जित संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है। इस फैसले ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें लंबे समय तक रिश्ते के कारण विवाह को माना गया था और लिव–इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और स्वतंत्र कुमार की पीठ ने पिछले फैसले को दोहराया, जिसमें कहा गया है कि माता–पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार सहित व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नाजायज बच्चों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 (जो शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बच्चों की वैधता से संबंधित है) में निहित कानूनी कल्पना के तहत वैध माना जाता है। हालांकि, इस नियम का दायरा माता–पिता की संपत्तियों तक ही सीमित है, और वे इस प्रावधान के आधार पर किसी अन्य रिश्तेदार से संपत्ति विरासत में नहीं ले सकते।

लिव–इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा केवल उस व्यक्ति की स्व–अर्जित संपत्ति पर ही दावा कर सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस व्याख्या से बच्चे को माता–पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने का भी अधिकार मिल सकता है, क्योंकि धारा 16 माता–पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने की अनुमति देती है। इस प्रकार, इस बात पर बहस की जा सकती है कि व्यक्ति न केवल स्व–अर्जित संपत्ति का हकदार है, बल्कि पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा पाने का हकदार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक वैध विवाह मौजूद है, तब तक पति या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव–इन रिलेशनशिप का दावा नहीं कर सकते हैं और न ही उस दूसरे व्यक्ति की संपत्ति से बच्चों के लिए उत्तराधिकार की मांग कर सकते हैं। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह के संबंध को 'व्यभिचार' माना जाता है, न कि 'लिव–इन रिलेशनशिप'। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अविवाहित विषमलैंगिक जोड़ों में 'लिव–इन रिलेशनशिप' की अनुमति है। हालाँकि, यदि उक्त व्यक्तियों में से कोई एक विवाहित है, तो वह व्यक्ति व्यभिचार का दोषी हो सकता है, और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत अपराध माना जाएगा।

लिव–इन रिलेशनशिप के पक्ष और विपक्ष

लिव–इन रिलेशनशिप और विवाह–पूर्व सेक्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद बयान ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी है। इस ऐतिहासिक टिप्पणी ने कई रूढ़िवादी समूहों को परेशान कर दिया है, जिन्हें डर है कि इससे विवाह की पवित्रता कम हो सकती है। समाज के एक हिस्से ने, जिसमें जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ता और प्रमुख हस्तियाँ शामिल हैं, इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। माँ घरा फाउंडेशन की ट्रस्टी रुतुपर्णा मोहंती ने इस फैसले के संभावित प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। उन्हें उम्मीद है कि सरकार भारतीय महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने तथा समाज को संभावित अराजकता से बचाने के लिए उचित कदम उठाएगी। मोहंती का मानना है कि इस तरह के फैसले से बाल गर्भावस्था की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है तथा एचआईवी/एड्स फैल सकता है, जबकि इसका उद्देश्य कई भागीदारों को प्रतिबंधित करना है। उन्हें यह भी चिंता है कि लिव–इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को उचित परवरिश नहीं मिल पाएगी।

कुछ समाज वैज्ञानिकों ने किशोरियों के समय से पहले गर्भधारण, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, हिंसा और किशोर अपराध जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों की पहचान की है। उनका तर्क है कि विवादास्पद निर्णय आपत्तिजनक सामाजिक व्यवहार को वैध बना सकता है, जिससे एक और बिगड़ी हुई नई पीढ़ी पैदा होगी जो अरेंज मैरिज के बजाय लिव–इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देगी।भाजपा प्रवक्ता शाइना हिंदू विवाह अधिनियम पर संशोधन के प्रभाव के बारे में चिंता जताती हैं, जो हिंदुओं में दूसरी पत्नी का प्रावधान नहीं करता है। उनका मानना है कि एक रखैल को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी का दर्जा देना, जिसमें संपत्ति, विरासत और रखरखाव के अधिकार शामिल हैं, अधिनियम और हिंदू रीति–रिवाजों दोनों के खिलाफ है।

लिव–इन रिलेशनशिप चुनने की स्वतंत्रता के पक्षधर हाल ही में की गई टिप्पणियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देने वाले सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि ऐसे रिश्ते पार्टनर को कानूनी जटिलताओं के बिना एक–दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर रिश्ते से बाहर निकलना आसान हो जाता है। उनका तर्क है कि लोगों को अपनी इच्छानुसार जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब तक कि उनके कार्यों से दूसरों को नुकसान न पहुँचे। विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएँ लिव–इन

रिलेशनशिप के बारे में प्रगतिशील कदमों का स्वागत करती हैं, उन्हें सामाजिक परिवर्तन और व्यावहारिकता का प्रतिबिंब मानती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि युवा पीढ़ी अधिक यथार्थवादी बन रही है और उन्हें अपने रिश्तों के बारे में सोच–समझकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लिव–इन रिलेशनशिप लंबे समय से बहस का विषय रहा है, जिसमें इस बात पर चर्चा होती रही है कि क्या ऐसे रिश्तों को कानूनी मान्यता दी जा सकती है। हालाँकि कई जगहों पर अविवाहित व्यक्तियों का एक साथ रहना कानूनी हैलेकिन कानून पारंपरिक रूप से विवाह का पक्षधर है और विवाहित व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित रखता है। कानूनी मान्यता के बावजूद कानून लिव–इन रिलेशनशिप को सक्रिय रूप से बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से विवाह संस्था का समर्थन करता है। हालाँकि, कुछ मामलों में कानून महिलाओं को पितृसत्तात्मक शक्ति गतिशीलता से बचाने का प्रयास करता है जो लिव–इन रिलेशनशिप में भी मौजूद हो सकती है।

निष्कर्ष

लिव–इन रिलेशनशिप कानूनी हो जाने के बावजूद, वे पार्टनर के लिए गैर–बाध्यकारी बने हुए हैं। जोड़े की अपेक्षाओं के आधार पर, यह एक लाभ या हानि हो सकती है। लिव–इन जैसी प्रथा को स्वीकार करना समाज के लिए एक बड़ा कदम है। ये रिश्ते व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित नहीं होते हैं। हालाँकि, भारतीय कानून/सुप्रीम कोर्ट लिव–इन रिलेशनशिप कानूनों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। भारत में लिव–इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। हालाँकिकोई भी विशिष्ट कानून लिव–इन रिलेशनशिप को नियंत्रित नहीं करता है या ऐसे रिश्तों में जोड़ों को कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। भारत में कोई विवाहित पुरुष लिव–इन रिलेशनशिप में रह सकता हैनहींकोई विवाहित पुरुष भारत में लिव–इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। भारतीय कानून के अनुसारविवाह के बाहर कोई भी यौन संबंधचाहे सहमति से ही क्यों न होव्यभिचार माना जाता है और यह दंडनीय अपराध है। इसके अलावायह अनैतिक है और विवाह और प्रतिबद्धता के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

लिव–इन रिलेशनशिप जोड़ों को एक–दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है और साथ ही उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार रिश्ता खत्म करने की स्वतंत्रता भी देता है। लेकिन उन्हें कई सामाजिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह के रिश्ते अक्सर महिलाओं को नुकसानदेह स्थिति में डाल देते हैं। नई पीढ़ी के लिए सामाजिक मूल्य और मानदंड बदल गए हैं। लिव–इन रिलेशनशिप कुछ परिस्थितियों में ठीक हो सकता है लेकिन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विवाह संस्था के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनोचिकित्सक के दृष्टिकोण सेअकेले रहने या दुखीनकारात्मक और परेशानी भरे रिश्ते में फंसे रहने की तुलना में सकारात्मकप्यारे और सार्थक रिश्ते में जुड़ना अधिक महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा, राम. (2013). भारतीय सामाजिक व्यवस्था. जयपुरः रावत प्रकाशन.
2. पाठक, अरुण कुमार. (2022). लिव–इन–रिलेशनशिप कानूनी वैधता. प्रयागराजः यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स
3. Kapadia, K.M.(1966). *Marriage and Family in India*. London: Oxford University Press.
4. Kane, P. V. (1953). *History of Dharmashastra*. Lucknow: U.P. Hindi Sansthan.
5. https://www.jansatta.com/explained/what-is-live-in-relationship-what-is-the-legal-rights-of-unmarried-couples-in-india/2493993/
6. https://www.thehindu.com/news/national/what-is-the-legal-position-on-live-in-relationships-explained/article68172438.ece
7. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/legal-implications-of-live-in-relationships-rights-and-responsibilities/articleshow/109699414.cms
8. https://rshrc.rajasthan.gov.in/writereaddata/Judgements/202208250231578463794Live_In_relationship_Final_Order_040919.pdf

❖◆❖